Motion for consideration of Indian Ports Bill, 2025 (Motion adopted and Bill passed)

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL):

Respected Sir, I beg to move*:

?That the Bill to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India?s coastline; establish and empower State Maritime Boards for effective management of ports other than major ports; establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector; provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation, and data at ports; ensure compliance with India?s obligations under international instruments to which it is a party; take measures for the conservation of ports; provide for adjudicatory mechanisms for the redressal of port-related disputes; and address matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.?

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

?That the Bill to consolidate the law relating to ports, promote integrated port development, facilitate ease of doing business and ensure the optimum utilization of India?s coastline; establish and empower State Maritime Boards for effective management of ports other than major ports; establish the Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector; provide for the management of pollution, disaster, emergencies, security, safety, navigation, and data at ports; ensure compliance with India?s obligations under international instruments to which it is a party; take measures for the conservation of ports; provide for adjudicatory mechanisms for the redressal of port-related disputes; and address matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री दिलीप शइकीया जी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आप सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दूंगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : उज्ज्वल रमण सिंह जी, आनंद जी, मैं आप सभी को इस विधेयक पर बोलने का अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी**,** मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अभी मैंने दिलीप शइकीया जी को बोलने के लिए कहा है।

? (व्यवधान)

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Indian Ports Bill, 2025.

Sir, it is a landmark reform that will redefine the legislative contours of India?s maritime landscape. We have 11,098 kilometres long coastline, which is not just a geography, but it is the economic spine of a four trillion-dollar economy, powering over 95 per cent of our trade by volume and nearly 70 per cent by value. I have often said, ?Ports are not merely gateways for goods; they are catalysts for transformation, engines of employment, and anchors of sustainable development?. ? (*Interruptions*)

सर, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में इनलैण्ड वाटर वेज़, पोर्ट्स और शिपिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत की अर्थनीति को बल मिला है और भारत की अर्थनीति के नाते यह बन पाया है। ? (व्यवधान) इसके लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

सर, माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनेवाल जी के नेतृत्व में भी इस पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी सारी उपलब्धियां हासिल की है।?(व्यवधान)

सर, मैं नॉर्थ-ईस्ट रीजन से बिलाँग करता हूं।?(व्यवधान) भइया, आप थोड़ा हमारी बात सुनने की कोशिश करें।? (व्यवधान) मैं नॉर्थ-ईस्ट रीजन की बात बोल रहा हूं।?(व्यवधान) आप हमारी बात सुनिए।?(व्यवधान) गौरव गोगोई जी, आप हमारी बात सुनिए।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय दिलीप शइकीया जी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूरे देश का विषय है। आप सभी को भी इस पर बोलने का अवसर मिलेगा।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी दिलीप शइकीया जी की बात सुन लें, फिर हम आप सभी को इस विधेयक पर और चर्चा करने का अवसर देंगे।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Dilip Saikia?s speech.

? (*Interruptions*) *?* *

श्री दिलीप शइकीया : सभापति महोदय, मैं नॉर्थ-ईस्ट के विषय को एड्रेस कर रहा हूं।?(व्यवधान)

सर, आज जिस हिसाब से पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर भारत में भी इंलैंड वाटर पोर्ट शिपिंग को इस मंत्रालय के द्वारा महत्व मिल रहा है, गुरुत्व मिल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ हमारे व्यवसाय का एक नया द्वार खुल गया है।?(व्यवधान) साउथ-ईस्ट एशिया का गेटवे गुवाहाटी है।?(व्यवधान)

सर, गुवाहाटी को मद्देनजर रखते हुए, आज हमारे पूर्वोत्तर को क्या-क्या मिला है, ये हम सभी को मालूम है, सदन को मालूम है।?(व्यवधान) हमने गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर, लॉंगेस्ट रूट में चलाया है।?(व्यवधान) यह लॉंगेस्ट रूट है।?(व्यवधान) हमने इसके माध्यम से अपने टूरिज्म के साथ-साथ हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जो सबसे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वह पूरे देश को गंगा विलास क्रूज के माध्यम से देखने का सौभाग्य मिला है।?(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने देखा है कि नॉर्थ-ईस्ट में जोगीघोपा में मल्टी लॉजिस्टिक हब बनाया गया है। ?(व्यवधान) यह हमारे नॉर्थ-ईस्ट के लिए मोदी जी का उपहार है।?(व्यवधान)

सर, इसके साथ-साथ पूरे नॉर्थ-ईस्ट, असम, गुवाहाटी, पांडु में हमें क्रूज टर्मिनल्स मिले हैं, पैसेंजर्स टर्मिनल्स मिले हैं।?(व्यवधान) हमें कार्गो शिप्स और कार्गो वेसल्स मिले हैं।?(व्यवधान) कुल मिला कर हमें शिप्स रिपेयरिंग फैसिलिटीज नॉर्थ-ईस्ट, असम में मिला है।?(व्यवधान) सर, पचास साल यहां कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन एक भी वाटर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग पोर्ट मिनिस्ट्री को बताने लायक एक भी स्टेप कांग्रेस ने नहीं लिया है।?(व्यवधान) आज गौरव गोगोई जी बोल रहे हैं।?(व्यवधान) वह सुन रहे हैं।?(व्यवधान) वे यहां पर बहरे हो गए हैं।?(व्यवधान) जब डेवलपमेंट की बात होती है, तो वे सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं।?(व्यवधान) इसलिए मैं विशेष कर गौरव गोगोई जी का उल्लेख कर रहा हूं।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : दिलीप शइकिया जी, केवल आप की बात रिकॉर्ड में जा रही है।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस विधयेक पर आप जो बातें कह रहे हैं, वही बातें रिकॉर्ड में जा रही हैं। किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

?(व्यवधान)?

श्री दिलीप शइकीया : सर, आज देश में जो पोर्ट कैपेसिटी है, वह पोर्ट कैपेसिटी नरेन्द्र मोदी जी के 11 सालों के कार्यकाल में 87 प्रतिशत तक एन्हांस हुई है ।? (व्यवधान) इस देश में मेजर पोर्ट्स बन गए हैं ।?(व्यवधान) Ships used to linger for nearly four days.? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप अपनी बात को संक्षिप्त करें।

?(व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया : शिप्स यहां से वहां तक जाने में चार दिन लगते थे ।?(व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जे के नेतृत्व में, सर्बानंद जी के नेतृत्व में वहां 48 घंटे में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कार्गो पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ ।?(व्यवधान) इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ?(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट में कोस्टल एरिया नहीं है, लेकिन रिवर एरिया बहुत है ।? (व्यवधान) वहां ब्रह्मपुत्र, बराक और कपिली है ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप अपनी बात को समाप्त करें।

?(व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया : मोदी जी ने नॉर्थ-ईस्ट को 20-20 नेशनल वाटर वेज तोहफा में दिया है। ?(व्यवधान) इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को फिर से धन्यवाद देता हूं ।?(व्यवधान) सर्बानंद जी ने इस बिल को यहां पर टेबल किया है, मैं भरतीय पतन विधेयक, 2025 को हृदय से सपोर्ट करता हूं। ?(व्यवधान) मैं इसे पारित करने के लिए अपोजिशन से भी आह्वान करता हूं। ? (व्यवधान) धन्यवाद।

SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM): Thank you, Sir. I rise in support of the Indian Ports Bill today and I would like to debate on multiple issues in this Bill. In light of the decorum of the House, I would like to limit myself to a very few points today. ? (*Interruptions*)

Our State is a very prosperous maritime State. We have a thousand kilometres of coastline. There are many developments that have benefited a North Eastern State of our country in the last decade in particular. The turnaround of the ships in major ports has halved from 93 hours to 48 hours today. Our international shipments ranking has improved from 44 to 23 in 2023. I welcome this initiative to integrate many things together on the port development and adjudication of many issues and ease of doing business on how to do trade, on how to do development of ports and identification of new ports. ? (*Interruptions*)

In fact, in our State, our Chief Minister has ideated that at every 50 kilometres, we should have a port with a theme - one will be for petrochemicals and one will be for ship repair and shipbuilding. I am very glad that our Union Minister Shri Sonowal has visited us in Vizag and has done a major conclave with seven countries in the Bay of Bengal. ? (*Interruptions*)

Also, on the cruise development, we already have two cruises and two more are coming. Of course, many more will come. I would love to debate on them another day but today. I whole-heartedly support, on behalf of our Party, this Bill and hope that this Bill is passed unanimously. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप सभी लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा,

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting all of you to debate on the Bill. The entire nation is watching you. The entire nation is watching what you are doing. You have been elected to make a piece of legislation. आप यहां कानून बनाने के लिए आए हैं, आप दर्शन सिंह चौधरी जी की बात सुनिए।

? (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसमें विश्वास, आंखों में भारत के समुद्री भविष्य का सपना, जुबान पर जोश, हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है,? (व्यवधान) यह बिल केवल कानून नहीं है, इक्कीसवीं सदी के भारत का समुद्र घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है, 1908 के कानून का दौर था जब हिन्दुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था, तब के पत्तन, तब की तकनीक, तब की सोच सब कुछ अलग थी। ? (व्यवधान) आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं, जहां माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख पत्तनों से संभालता है, ? (व्यवधान) सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, ? (व्यवधान) जो राष्ट्रीय जल मार्गों को सलाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। ? (व्यवधान)

बिल का मुख्य स्तंभ है, हमारी नयी ऊर्जा और नई संरचना, इसमें मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है। एमएसडीसी, केन्द्र और राज्य मिलकर एक साझा रणनीति बनाएंगे, टैरिफ और रणनीतियों में एकरूपता यही विकास की पहली शर्त है। ? (व्यवधान) स्टेट मैरिटाइम बोर्ड का गठन हुआ है, इससे राज्य और संघीय ढांचा मजबूत बनेगा, डिसप्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनी है, जिससे विवादों का छह माह के निपटारे की बात बिल में समाहित किया गया है। हाई कोर्ट तक

अपील, न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। ? (व्यवधान) पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिन्दु है। पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण ताकि ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजाले की ओर बढ़ेंगे, ? (व्यवधान) यह बिल उतना ही उजाला लाता है, ? (व्यवधान) पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं, नई राहत दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7 हजार 5 सौ किलोमीटर लंबे तट पर केवल समुद्री रेत नहीं है बल्कि अवसरों का स्वर्ण द्वार है।

?लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है

कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती।?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल से एक एकादृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन, चारों में संगम होता है। ? (व्यवधान) हमें कदम मिलाकर चलना होगा। इससे हमें लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूँ। ? (व्यवधान) सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, लेकिन हमारे यहां पर नर्मदा मैया का पावन तट है और उसमें भी क्रूज जैसी व्यवस्था की जा रही है। ? (व्यवधान) नर्मदा मैया नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है।

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय सदस्य को बिल पर बोलने दें। आप वेल में हंगामा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बिल पर बोलना है तो आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आप सड़क पर भी धरना देते हैं। यह लोक सभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है। इस बिल को बनाने में आपकी भूमिका है।

? (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी : सभापति महोदय, नर्मदा नदी गुजरात की भी रक्षिणी है। ? (व्यवधान) उस नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्द्धन का भी प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बिल को पारित कर हम भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा निर्णायक कदम उठाएंगे। ? (व्यवधान) आज आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमाएं मजबूत हुई हैं इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और विपक्ष से भी अपील करता हूँ कि वे देशहित में इस बिल के समर्थन में आएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ? (व्यवधान)

मैं इसी भावना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर इस महत्वपूर्ण बिल पर आपमें से कोई बोलना चाहता है तो आप सदन में व्यवस्था बनाकर रखें। अगर आप वेल से जाएंगे तो मैं आपको बोलने के लिए एलाऊ करूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आपको कानून बनाने के लिए जनता ने चुनकर भेजा है और आप इस बिल की चर्चा में मौजूद हैं। श्यामकुमार बर्वे जी, जावेद साहब, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। दीपेन्द्र जी, आप इन्हें कहिए कि ये अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। मैं इस विधेयक पर सभी को बोलने का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप सदन को चलने दीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर सदन में कानून बनाने के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आई है और अगर उस पर आप बोलना चाहते हैं तो कृपया आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to reply to the debate on the Indian Ports Bill, 2025.

I am, especially, thankful to hon. Members of Parliament Dilip Saikia ji, Sribharat Mathukumilli ji, and Darshan Singh Choudhary ji for their kind support and extensive elaboration about the significance of this Bill.

Sir, the Indian Ports Bill, 2025 is a strategic intervention to reposition India?s maritime sector for the 21st Century. India?s coastline, the economic backbone of a four-trillion economy, has seen a remarkable progress under the visionary leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi ji.

Sir, in the last decade, our port capacity has expanded by 87 per cent, and cargo handling surged to a historic high of 855 million tonnes. We have drastically cut down ship turnaround time by nearly 49 per cent through mechanisation and digitisation. The coastal shipping has increased by an astounding 118 per cent.

Sir, they are not just numbers, they are testimony to our rampant pursuit of efficiency and growth which is why nine of our ports now rank in the World Bank Global Container Port Performance Index. Despite this progress, we are still governed by a colonial relic, the Indian Ports

Act of 1908. This outdated statute lacks provisions for long-term planning, modern environmental safeguards, and efficient dispute resolution. It is a legislative framework from a bygone era unsuited for a modern, and a digitised maritime ecosystem.

Respected Sir, the Indian Ports Bill, 2025, is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal States, industry stakeholders, and the public. It embodieds the spirit of cooperative federalism.

Sir, the Bill contains 11 Chapters and 85 Clauses that mainly focus on optimum utilisation of India?s coastline by promoting integrated planning and strategic development of our ports through a robust consulting framework between the States and the Centre. This Bill introduces several forward looking reforms. Number one is integrated planning. ? (*Interruptions*) It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommended body to facilitate integrated long-term planning and data-driven decision making across all ports. The Bill introduces State-level Resolution Committees to provide fast, efficient and transparent mechanism for resolving port related dispute.

Sir, then we have the environmental and safety compliance. ? (*Interruptions*) It mandates that all ports comply with International Conventions like MARPOL requiring them to have robust plans for emergency preparedness, pollution prevention, and disaster management.

Sir, digital integration is also a very important aspect of this particular Bill. In line with our international obligation, this Bill empowers the Government to direct ports to establish a Maritime Single Window System enabling seamless electronic data exchange, improving the ease of doing business. ? (*Interruptions*)

Sir, this Bill is meticulously designed to align with the best global practices. With this, Sir, I request the House to pass the Bill. Thank you.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि पत्तन से संबंधित विधि का समेकन करने, पत्तनों पर प्रदूषण की रोकथाम और संदूषण के लिए उपबंध करने, अंतरराष्ट्रीय लिखत, जिसका भारत पक्षकार है, के अधीन देश की बाध्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने; पत्तन के संरक्षण के लिए उपाय करने, भारत में गैर-महापत्तनों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य समुद्रीय बोर्डों की स्थापना और सशक्त करने; पत्तन से संबंधित विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णायिक तंत्रों का उपबंध करने; पत्तन के क्षेत्र की संरचनात्मक वृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए

समुद्रीय राज्य विकास परिषद् की स्थापना करने; भारत की तटरेखा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों**,** श्री सौगत राय जी**,** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री के. राधाकृष्णन जी, श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी, श्री डी.एम. कथीर आनंद जी, श्री हैबी ईडन जी**,** श्री अभय कुमार सिन्हा जी और श्री बैन्नी बेहनन जी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों में अपने-अपने संशोधन दिए हैं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या कोई भी माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता है? यदि नहीं**,** तो सभा की सहमति हो, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूं। क्या सभा सहमत है?

? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 85 विधेयक के अंग बनें।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 85 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

_____

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोलह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

? (व्यवधान)

15.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

———

16.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

? (व्यवधान)

16.30½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Akshay Yadav, Dr. Mohammad Jawed and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

-

? (interruptions)

माननीय सभापति : महुआ जी, अभी सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई और अभी से आप वेल में आ रही हैं। आखिर क्यों आप वेल में आ रही हैं? आप लोग वेल में क्यों आ रहे हैं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके सामने माइंस का एक महत्वपूर्ण विधेयक है। आपके सामने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक है।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 21, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)